परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्याः—६८९एलएएस/14—122एलएएस/14 दिनांकः 26 फरवरीः 2014

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः—**मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में लम्बित वादों की पैरवी के सम्बन्ध में।**

आप विदित है कि इस कार्यालय के पत्र सं0—3816एलएएस/13—224टी0सी0/एलएएस/10 दिनांक—27—11—2013 के द्वारा सुश्री बीना सिन्हा एवं पत्रांक—4048(I)एलएएस/13—224टी0सी0/एलएएस/10 दिनांक—24—12—2013 के द्वारा श्री धर्मेन्द्र गुप्ता एवं श्री शरद श्रीवास्तव को अधिवक्ता निगम पैनल से पृथक किया जा चुका है।

उक्त अधिवक्ताओं को आंवटित किये गये वादो की पत्रावलियां प्राप्त कर निगम पैनल के अन्य अधिवक्ताओं को आवंटित कर प्रभावी पैरवी करायी जाय।

यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में सूचीबद्व होने वाले वादों को मा0 उच्च न्यायालय की बैव साइड पर तीन दिन पूर्व ही डाउनलोड कर दी जाती है, जिन्हें अपने क्षेत्र से सम्बन्धित वादों को चिन्हित कर निर्धारित तिथि से पूर्व वकालतनामा व अभिलेख सहित आंवटित अधिवक्ता से सुदृढ़ पैरवी कराया जाना सुनिश्चित करे तथा नये अधिवक्ता को आंवटित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मुख्यालय को अधिवक्ता का नाम, मोबाइल नम्बर सहित सम्बन्धित वादों की सूची उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। ध्यान रहें कि पैरवी के अभाव में वाद निगम विरूद्व "डिसमिस डिफाल्ट" हो जाते है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित क्षेत्र की होगी।

26.2.14

(यशवन्त कुमार मिश्र)
विधि परामर्शदाता

Downloaded from
www.upsrtc.com